



2026:AHC: 176995-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आयकर अपील संख्या - 32 वर्ष 2014

योगेश मिश्रा

..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

आयकर आयुक्त सर्किल 1 आगरा

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: आर.एस. अग्रवाल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कृष्ण अग्रवाल

और 1 संबंधित वाद

निर्णय सुरक्षित: 21.05.2026

निर्णय पारित: 21.08.2026

न्यायालय संख्या- 40

माननीय न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

(माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद द्वारा प्रदत्त)

1. वर्तमान अपील के साथ-साथ संबद्ध आयकर अपील संख्या 31 वर्ष 2014 में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस. अग्रवाल और प्रत्यर्थी की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती पूजा तलवार को सुना गया।

2. आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके पश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 260ए के अंतर्गत वर्तमान अपील निर्धारिती द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-05 के संबंध में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, आगरा पीठ, आगरा द्वारा पारित सामान्य आदेश दिनांक 08.10.2009 के विरुद्ध

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रस्तुत की गई है। न्यायाधिकरण ने उक्त आदेश द्वारा राजस्व द्वारा दाखिल की गई अपील के साथ-साथ निर्धारिती द्वारा दाखिल किए गए प्रति-आक्षेप का निस्तारण किया।

3. अपीलार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए कोचिंग प्रदान करने के कार्य में लगा हुआ है। तलाशी और सर्वेक्षण कार्यवाहियों के दौरान, ट्यूशन शुल्क की वसूली और वापसी से संबंधित कुछ खुले पन्ने (लूज शीट) और अन्य दस्तावेज पाए गए थे। जब्त की गई सामग्री के आधार पर, निर्धारण अधिकारी लेखा पुस्तकों की शुद्धता और पूर्णता से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अधिनियम की धारा 145(3) के अंतर्गत उन्हें अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात आय का निर्धारण अनुमान द्वारा किया गया। आयुक्त (अपील) ने आंशिक राहत प्रदान की। राजस्व ने प्रदान की गई राहत को चुनौती दिया, जबकि निर्धारिती ने कायम रखी गई वृद्धि के विरुद्ध क्रॉस-ऑब्जेक्शन दाखिल किया। न्यायाधिकरण ने लेखा पुस्तकों की अस्वीकृति को बरकरार रखा और शुल्क वापसी के संबंध में आयुक्त (अपील) द्वारा प्रदान की गई राहत को संशोधित किया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि लेखा पुस्तकों की अस्वीकृति न्यायोचित नहीं थी। उनके अनुसार, अपीलार्थी नियमित पुस्तकें रख रहा था, जिसमें सभी प्राप्तियां और भुगतान विधिवत दर्ज थे। छात्रों से एकत्र की गई कुछ राशियों को बाद में वापस कर दिया गया था, लेकिन प्राधिकारियों द्वारा ऐसी वापसी के लिए उचित क्रेडिट नहीं दिया गया था।

5. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि निर्धारिती ने 25,70,300/- रुपये की शुल्क वापसी का दावा किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। अपीलार्थी के अनुसार, भले ही क्रेडिट को 20% तक सीमित किया जाना था, प्रतिशत को वापसी राशि पर लागू किया जाना चाहिए था न कि सकल शुल्क प्राप्तियों पर। यह भी तर्क दिया गया है कि न्यायाधिकरण ने राजस्व की अपील के दायरे से बाहर जाकर वापसी के आधार की जांच की जब इस संबंध में कोई विशिष्ट आधार नहीं उठाया गया था। इस न्यायालय के **जे.के. बैंकर्स बनाम आयकर आयुक्त, (1974) 94 आईटीआर 107 (इलाहाबाद)** और **एस.पी. कोचर बनाम आयकर अधिकारी, (1984) 145 आईटीआर 255 (इलाहाबाद)** के निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

6. इसके विपरीत, राजस्व के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि तलाशी और सर्वेक्षण के दौरान मिली सामग्री पर विचार करने के पश्चात धारा 145(3) के अंतर्गत लेखा पुस्तकों को अस्वीकार कर दिया गया था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जब तक कि पुस्तकों की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अस्वीकृति को अवैध नहीं दिखाया जाता है, आय के अनुमान और वापसी की राशि को दी गई चुनौती पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्राधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित हैं और अधिनियम की धारा 260ए के अंतर्गत हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं।

7. हमने परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. विचार के लिए पहला मुद्दा यह है कि क्या धारा 145(3) के अंतर्गत लेखा पुस्तकों की अस्वीकृति किसी विधिक दुर्बलता से ग्रस्त है। आय के अनुमान और शुल्क की वापसी से संबंधित अन्य मुद्दे अनिवार्य रूप से इसी मुद्दे पर निर्भर करेंगे।

9. न्यायाधिकरण अधिनियम के अंतर्गत अंतिम तथ्य-अन्वेषी प्राधिकारी है। धारा 260ए के अंतर्गत एक अपील में, यह न्यायालय केवल वहीं हस्तक्षेप करता है जहां विधि का कोई सारवान प्रश्न उत्पन्न होता है। साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित निष्कर्षों को सामान्यतः तब तक फिर से नहीं खोला जा सकता जब तक कि उन्हें विकृत, बिना किसी साक्ष्य पर आधारित या विधि के विपरीत न दिखाया जाए।

10. वर्तमान वाद में, निर्धारण अधिकारी ने तलाशी और सर्वेक्षण के दौरान मिली सामग्री पर विचार करने के पश्चात पुस्तकों को अस्वीकार कर दिया। आयुक्त (अपील) ने मामले की जांच की और आंशिक राहत प्रदान की। न्यायाधिकरण ने तत्पश्चात पुस्तकों की अस्वीकृति की पुष्टि करने से पूर्व जब्त की गई सामग्री, लेखा पुस्तकों और पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया। इसलिए, यह निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है और इसे विकृत नहीं कहा जा सकता है।

11. अपीलार्थी का यह तर्क कि खुले पन्नों में दर्शाई गई प्राप्तियां पहले से ही पुस्तकों में दर्ज थीं और छात्रों को वापस की गई राशियों के लिए उचित क्रेडिट नहीं दिया गया था, इसके लिए पुस्तकों और जब्त की गई सामग्री के नए सिरे से परीक्षण की आवश्यकता होगी। क्या सभी लेनदेन सही ढंग से दर्ज किए गए थे और किस हद तक वापसी का दावा स्थापित किया गया था, ये तथ्य के प्रश्न हैं। इन पहलुओं पर न्यायाधिकरण द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है। हमें ऐसी कोई सामग्री नहीं दिखाई गई है, जिससे यह माना जा सके कि इसके निष्कर्ष साक्ष्य द्वारा असमर्थित हैं या अन्यथा विकृत हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. न्यायाधिकरण द्वारा अनुमत वापसी की राशि के संबंध में शिकायत भी उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर किए गए अनुमान से संबंधित है। एक बार जब पुस्तकों को अस्वीकार कर दिया गया, तो आय का निर्धारण और किस सीमा तक वापसी का दावा स्वीकार किया जा सकता था, ये अनुमान के मामले थे। एक अलग संगणना (कंप्यूटेशन) की मात्र संभावना विधि का सारवान प्रश्न उत्पन्न नहीं करती है।

13. यह तर्क कि न्यायाधिकरण ने राजस्व द्वारा प्रस्तुत आधारों से परे जाकर विचार किया, भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। राजस्व ने आयुक्त (अपील) द्वारा प्रदान की गई राहत को चुनौती दिया था, जबकि निर्धारिती ने कायम रखी गई वृद्धि के हिस्से के विरुद्ध क्रॉस-ऑब्जेक्शन दाखिल किया था। इसलिए, शुल्क वापसी से संबंधित मुद्दा और उस संबंध में प्रदान की गई राहत न्यायाधिकरण के समक्ष था।

14. **जे.के. बैंकर्स बनाम आयकर आयुक्त, (1974) 94 आईटीआर 107 (इलाहाबाद) और एस.पी. कोचर बनाम आयकर अधिकारी, (1984) 145 आईटीआर 255 (इलाहाबाद)** पर किया गया भरोसा अपीलार्थी के वाद को आगे नहीं बढ़ाता है। **जे.के. बैंकर्स (उपरोक्त)** में, न्यायाधिकरण ने, केवल निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई अपील में, अस्वीकृति को 30,000/- रुपये से बढ़ाकर 36,000/- रुपये कर दिया था, भले ही राजस्व द्वारा कोई अपील या क्रॉस-ऑब्जेक्शन नहीं था। **एस.पी. कोचर (उपरोक्त)** में, मुद्दा यह था कि क्या आयकर अधिकारी, रिमांड के पश्चात, न्यायाधिकरण द्वारा उसे प्रेषित मामलों से परे जा सकता था। वर्तमान वाद एक अलग स्तर पर है। यहां, राजस्व ने स्वयं आयुक्त (अपील) द्वारा प्रदान की गई राहत को चुनौती दी थी। इसलिए, न्यायाधिकरण ऐसी राहत के आधार और सीमा की जांच करने का हकदार था और यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपील के दायरे से बाहर गया था।

15. इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उठाए गए मुद्दे अनिवार्य रूप से पुस्तकों की अस्वीकृति, जब्त की गई सामग्री के मूल्यांकन और आय के अनुमान से संबंधित हैं। न्यायाधिकरण के निष्कर्ष उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर आधारित हैं। कोई ऐसी विकृति या विधि की त्रुटि नहीं दिखाई गई है जो अधिनियम की धारा 260ए के अंतर्गत हस्तक्षेप की मांग कर सके।

16. तदनुसार, विचारार्थ विधि का कोई सारवान प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17. अपील खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद) (न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव)

21 अगस्त, 2026

सचिन मिश्रा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”